संख्या- 114/2023/951/छप्पन-2023-60/1993

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश,

लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 31 अक्टूबर, 2023

विषयः- श्रावस्ती एयरपोर्ट के विस्तारीकरण हेतु वांछित भूमि के क्रय के सम्बन्ध में माह मार्च 2023 में प्रेषित प्रस्ताव तथा माह जुलाई, 2023 में प्रस्तुत प्रस्ताव में आए अन्तर की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक संख्या 127/ना0उ0नि0/2023 दिनांक 17 अगस्त, 2023 तथा पत्रांक संख्या 909/ना0उ0नि0/2023 दिनांक 13 सितम्बर, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से श्रावस्ती एयरपोर्ट के विस्तारीकरण हेतु संशोधित प्रस्तावानुसार कुल भूमि मूल्य 3,40,67,30,503/- (रूपए तीन अरब चालीस करोड़ सड़सठ लाख तीस हजार पाँच सौ तीन लाख मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करने तथा प्रस्ताव में आए अन्तर की धनराशि रू0 5,39,62,212/- (रूपए पाँच करोड़ उन्तालिस लाख बासठ हजार दो सौ बारह मात्र) के व्यय की वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी, श्रावस्ती के निवर्तन हेतु जारी करने का अनुरोध किया गया है।

2- सूच्य है कि शासनादेश संख्या- 42/2023/423/छप्पन-2023-60/1993 दिनांक 27 मार्च, 2023 द्वारा श्रावस्ती स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने हेतु 267.0696 है0 अतिरिक्त भूमि के क्रय हेतु मा0 मन्त्रि-परिषद की बैठक दिनांक 23 मार्च, 2023 में लिए गए निर्णय के क्रम में रू0 3,35,27,68,291/- (रूपए तीन अरब पैंतीस करोड़ सत्ताइस लाख अड़सठ हजार दो सौ इक्यानवे मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ व्यय किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई, परन्तु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए Geo-Coordinates के अनुसार DGPS के माध्यम से सर्वे कराकर फेजवार प्रभावित गाटों का विवरण आटोकैड मानचित्र पर दर्शाते हुए आख्या, सम्मिलित/घटाए गए गाटे, सर्किल रेट में परिवर्तन/रक्बा परिवर्तन/परिसम्पत्ति के मूल्यांकन में हुए परिवर्तन इत्यादि के आधार पर संशोधित प्रस्ताव रु0 3,40,67,30,503/- उपलब्ध कराया गया। इसे जनपद स्तर पर गठित " जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति" द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2023 को अनुमोदित कर दिया गया है तथा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार मार्च, 2023 में प्रेषित प्रस्ताव व माह जुलाई, 2023 में प्रस्तुत प्रस्ताव में आए अन्तर रु0 5,39,62,212/- पर आवश्यक कार्यवाही किए जाने का अनुरोध आयुक्त देवीपाटन मण्डल, गोण्डा द्वारा अपने पत्र दिनांक 05 जुलाई, 2023 के अन्तर्गत किया गया है। इसलिए श्रावस्ती एयरपोर्ट के विस्तारीकरण हेतु वांछित भूमि के क्रय के सम्बन्ध में माह मार्च 2023 में प्रेषित प्रस्ताव तथा माह जुलाई, 2023 में प्रस्तुत प्रस्ताव में आए अन्तर की धनराशि रु0 5,39,62,212/- की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जानी है।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रावस्ती एयरपोर्ट के विस्तारीकरण हेतु वांछित भूमि के क्रय के सम्बन्ध में माह मार्च, 2023 में प्रेषित प्रस्ताव तथा माह जुलाई, 2023 में प्रस्तुत प्रस्ताव में आए अन्तर की धनराशि रु0 5,39,62,212/- (रूपए पांच करोड़ उन्तालीस लाख बासठ हज़ार दो सौ बारह मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं सम्पूर्ण स्वीकृत धनराशि में से रु0 5,39,62,212/- की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिलाधिकारी, श्रावस्ती के निवर्तन पर रखे जाने हेतु अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं :-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जाएगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(3) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक नागरिक उड्डयन का होगा।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।

(8) पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या- 47/2023/444/छप्पन-2023-60/1993, दिनांक 29 मार्च, 2023 में उल्लिखित शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 5,39,62,212/- (रूपए पाँच करोड़ उन्तालिस लाख बासठ हजार दो सौ बारह मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, श्रावस्ती के निर्वतन पर रखी जायेगी और जिलाधिकारी, श्रावस्ती द्वारा यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

5- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2023-2024 के अनुदान संख्या-38 पूंजी लेखा "लेखाशीर्ष ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय'' से वहन की जाएगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: ई-7-246/दस-2023-24, दिनांक 25 अक्टूबर, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या: 114/2023/951(1)/छप्पन-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
4- जिलाधिकारी, श्रावस्ती।
5- निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/श्रावस्ती।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-1/राजस्व अनुभाग-13.
8- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।